रजिस्ट्री सं० डी० (डी०एन०)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)

Gazette 275

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 7, 1990/आषाढ़ 16, 1912
No. 274] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 7, 1990/ASADHA 16, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

IndiaCode

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 1990

सा.का.नि. (622 अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पासपोर्ट नियम, 1980 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. इन नियमों को पासपोर्ट (पहला संशोधन) नियम, 1990 कहा जाए।

2. ये 16 अगस्त, 1990 से प्रभावी होंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 में नियम 12 के उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(1) एक साधारण पासपोर्ट उसके जारी होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।"

[संख्या VI/40/24/90]

राजीव मंगहोत्र सक्सेना (सी. पी. वी.)

पाद टिप्पणी :

मुख्य नियम भा का नि. संख्या 691 (अ) दिनांक 11-12-1980 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसे बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था :

1. भा.का.नि. (अ) 58(अ) दिनांक 7-2-1981
2. भा.का.नि. (अ) 494(अ) दिनांक 16-8-1981
3. भा.का.नि. (अ) 469(अ) दिनांक 24-6-1982
4. भा.का.नि. (अ) 223(अ) दिनांक 12-4-1983
5. भा.का.नि. (अ) 482(अ) दिनांक 13-8-1988
6. भा.का.नि. (अ) 880 (अ) दिनांक 1-11-1985
7. भा.का.नि. (अ) 345 (अ) दिनांक 29-3-1985
8. भा.का.नि. (अ) 857 (अ) दिनांक 15-10-1987
9. भा.का.नि. (अ) 84 (अ) दिनांक 11-02-1988
10. भा.का.नि. (अ) 1158 (अ) दिनांक 21-11-1988

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 1990

G.S.R. 622(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1980, namely :—

(1) These rules may be called the Passports (1st Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force from 16th August, 1990.

IndiaCode

(2)

(In the Passports Rules, 1980 for sub-rule (1) of rule 12, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) An ordinary passport shall continue in force for a period of ten years from the date of its issue."

[No. VI/401/24/

SHASHANK, Jt. Secy. (C

FOOT NOTE :—The Principal rules were published vide GSR No. 69[E dated 11-12-1980, subsequently emended by

1. GSR(E) 50(E) dated 7-2-1981.
2. GSR(E) 494(E) dated 16-6-1981.
3. GSR(E) 469(E) dated 24-6-1982.
4. GSR(E) 325(E) dated 12-4-1983.
5. GSR(E) 482(E) dated 13-6-1983.
6. GSR(E) 860(E) dated 1-11-1985.
7. GSR(E) 345(E) dated 29-3-1985.
8. GSR(E) 857(E) dated 13-10-1987.
9. GSR(E) 84(E) dated 11-2-1988.
10. GSR(E) 1155(E) dated 21-11-1988.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1990.